



UPBS010033582018

न्यायालय द्वितीय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 2 बस्ती।

पीठासीन अधिकारी : राम करन यादव (H.J.S.)

J.O. Code No. UP6394

सिविल अपील संख्या 93/2018

1. रामगरीब आयु लगभग 55 वर्ष पुत्र झिन्नू
2. गिरधर आयु लगभग 30 वर्ष पुत्र रामगरीब
3. शिव प्रत्साद आयु लगभग 28 वर्ष पुत्र रामगरीब
4. जगू आयु लगभग 26 वर्ष पुत्र रामगरीब
5. राजा आयु लगभग 24 पुत्र रामगरीब
6. अवधेश आयु लगभग 22 वर्ष पुत्र रामगरीब

निवासीगण ग्राम मिश्रौलिया तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती -
अपीलार्थीगण

बनाम

1. दयाराम पुत्र आद्या प्रसाद (दौरान अपील मृत)
 - 1/1. जय प्रकाश आयु 62 वर्ष पुत्र दयाराम
 - 1/2. राम सुमेर आयु 55 वर्ष पुत्र दयाराम
 - 1/3. शिवनंदन आयु 52 वर्ष पुत्र दयाराम
 - 1/4. विश्व नंदन आयु 30 वर्ष पुत्र दयाराम
2. मस्तराम आयु 50 वर्ष पुत्र आद्या प्रसाद
3. जगदीश प्रसाद पुत्र आद्या प्रसाद (दौरान अपील मृत)
 - 3/1 . प्रदीप कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र जगदीश प्रसाद
 - 3/2 . मनोज कुमार आयु 28 वर्ष पुत्र जगदीश प्रसाद

निवासीगण ग्राम सन्तपुर उर्फ गदहाखोर तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती -
प्रत्यर्थीगण

दिनांक 10-02-2026

निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज संख्या 49 ग

प्रार्थनापत्र कागज संख्या 49 ग पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है ।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं आया ।

प्रार्थनापत्र कागज संख्या 49 ग यह कथन करते हुये प्रस्तुत किया गया है कि दौरान अपील
प्रत्यर्थी संख्या 1 दयाराम दिनांक 19-01-2022 को मर गये जिसके वरासत का प्रार्थनापत्र 31 क

समय के अन्दर दिया गया था लेकिन उक्त प्रार्थनापत्र में प्रत्यर्थी संख्या 1/5 प्रस्तावित वारिस का नाम विश्वनन्दन था परन्तु प्रार्थनापत्र में बृजनन्दन टाइप हो गया था। उसको ठीक करने के लिये संशोधन प्रार्थनापत्र 39 क दिया गया था न्यायालय ने दिनांक 14-09-2022 को पक्षों को सुन कर प्रार्थनापत्र 39 क स्वीकार करके प्रार्थनापत्र 31 क को दयाराम के प्रस्तावित वारिस 1/5 का सही नाम अंकित करने का आदेश दिया। परन्तु समय के अन्दर संशोधन नहीं दिया जा सका तब प्रार्थनापत्र 46 ग द्वारा न्यायालय से आदेश दिनांक 14-09-2022 के अनुपालन में संशोधन करने की याचना की , न्यायालय ने दिनांक 17-01-2024 को प्रार्थनापत्र 46 ग 600 रुपये हर्जे पर स्वीकार करके आदेश दिनांक 14-09-2022 के अनुपालन में प्रार्थनापत्र 31 क पर संशोधन करने का आदेश दिया परन्तु आदेश न समझ पाने के कारण जूनियर अधिवक्ता ने मेमो ऑफ अपील में 31 क के अनुसार प्रतिस्थापन कर दिया जो एक मानवीय भूल है। प्रार्थना किया गया है कि न्याय हित में प्रार्थनापत्र 31 क पर पक्षों को सुनकर नियमानुसार प्रतिस्थापन की कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाये ।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 दयाराम के विधिक प्रतिनिधिगण के प्रतिस्थापन का प्रार्थनापत्र कागज संख्या 31 क दाखिल किया गया है । 31 में संशोधन हेतु 39 क प्रार्थनापत्र दिया गया है । न्यायालय के द्वारा 39 क प्रार्थनापत्र दिनांक 14-09-2022 को स्वीकार करके प्रतिस्थापन का प्रार्थनापत्र कागज संख्या 31 क में संशोधन की अनुमति दी गई है । प्रतिस्थापन का प्रार्थनापत्र कागज संख्या 31 क अभी निस्तारित नहीं हुआ है , और अपील मेमो में प्रत्यर्थी संख्या 1 दयाराम के विधिक प्रतिनिधिगण के प्रतिस्थापन कर दिया गया है । उक्त के संबंध में यह कथन किया गया है कि मानवीय भूल के कारण 31 क में संशोधन के स्थान पर अपील ज्ञापन में संशोधन कर दिया गया है । मामले के तथ्यों में उक्त भूल क्षमा किए जाने योग्य है । अतः न्यायालय की राय में प्रत्यर्थी संख्या 1 दयाराम के विधिक प्रतिनिधिगण के प्रतिस्थापन का प्रार्थनापत्र कागज संख्या 31 क के निस्तारण तक अपील मेमो के किया गया संशोधन प्रास्थगित (kept in abeyance) रखा जाता है । क्योंकि उक्त संशोधन को काटने के निर्देश देकर और यदि 31 स्वीकार होता है तो पुनः उसे अपील मेमो में समाविष्ट करने से कोई लाभकारी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।

आदेश

पत्रावली वास्ते सुनवाई विधिक प्रतिनिधि प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र कागज संख्या 31 क दिनांक 25-02-2026 को पेश हो । प्रार्थनापत्र कागज संख्या 31 क निस्तारण तक मृत प्रत्यर्थी दयाराम के विधिक प्रतिनिधिगण के प्रतिस्थापन के बाबत अपील ज्ञापन में किए गए संशोधन को प्रास्थगित (kept in abeyance) रखा जाता है । प्रार्थनापत्र कागज संख्या 31 क के आदेश के अधीन उसके संबंध में आदेश पारित किया जायेगा ।

दिनांक 10-02-2026

(राम करन यादव)

J.O. Code No. UP. 6394

अपर जनपद न्यायाधीश

न्यायालय संख्या 2

जनपद बस्ती